न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 131/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. केसाराम पुत्र रामसिंह 2. गोरखाराम पुत्र रामसिंह 3. हिमताराम पुत्र रामसिंह जातियान– जाट निवासी–लीलसर तहसील चौहटन जिला बाडमेर। 4. तुलछाराम पुत्र रामसिंह 5. हनुमान पुत्र रामसिंह जातियान– जाट निवासी–डबोई तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर। 6. गेनाराम पुत्र नरसिंगाराम 7. गोरधनराम पुत्र मूलाराम 8. ताजाराम पुत्र मूलाराम 9. पेमाराम पुत्र मूलाराम 10. राजूराम पुत्र मूलाराम 11. जसाराम पुत्र किशनाराम 12. ठाकराराम पुत्र भैराराम 13. सवाईराम पुत्र भैराराम 14. सामू पुत्र भैराराम 15. हेमाराम पुत्र भैराराम 16. दलूदेवी पत्नी भैराराम 17. डूंगराराम पुत्र किशनाराम 18. धर्मा पुत्र देरामा 19. भीयाराम पुत्र देरामा 20. पूराराम पुत्र नरसिंगाराम 21. पारूदेवी पत्नी नरसिंगाराम 22. बाबूलाल पुत्र नरसिंगाराम जातियान– जाट निवासी–आदर्श रामेश्वर नगर, रामजी का गोल फांटा, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।		1. रामाराम पुत्र नैनाराम 2. कुम्भाराम पुत्र नैनाराम 3. गवरी पत्नी नैनाराम 4. भभूताराम पुत्र कैसाराम 5. हीराराम पुत्र कैसाराम 6. भीयाराम पुत्र कैसाराम 7. खेतूदेवी पत्नी कैसाराम 8. उम्मीदेवी पत्नी डूंगराराम 9. हरीश चौधरी पुत्र डूंगराराम अवयस्क द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती उम्मीदेवी 10. घमाराम पुत्र भैराराम 11. जूजाराम पुत्र भैराराम 12. जेठाराम पुत्र भैराराम 13. हरखूदेवी पत्नी भैराराम 14. जगमालाराम पुत्र पेमाराम 15. पुखराज पुत्र पेमाराम 16. नानगाराम पुत्र रूगनाथ 17. बनाराम पुत्र नारणा 18. हेमाराम पुत्र नारणा 19. रामाराम पुत्र नारणा 20. पूरीदेवी पत्नी नारणा 21. प्रतापा पुत्र काना 22. वीरधी पुत्री काना जातियान– जाट निवासी–बरेडो का पाना, रामजी का गोल फांटा, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर। 23. भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुडामालानी। 24. बालोतरा सहकारी भूमि विकास लिमिटेड, धोरीमन्ना 25. मरूधरा ग्रमीण बैंक, गुडामालानी 26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गुडामालानी, जिला बाडमेर। 27. उदा पुत्र रामा 28. चैनी पत्नी मूलाराम 29. रामाराम पुत्र अणदाराम 30. लिछू पत्नी अणदाराम 31. उदा पुत्र भगवानाराम जातियान– जाट निवासी–आदर्श रामेश्वर नगर, रामजी का गोल फांटा, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 5.7.2022 उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2022 अनवान रामराम वगैराह बनाम केसाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1– श्री लादूराम पूनिया, अपीलान्टस की ओर से।
2– रेस्पो.संख्या 1 ता 25 एवं 27 ता 31 बावजूद सूचना के अनुपस्थित ।
3– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 26 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27 जुलाई, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 22 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आदर्श रामेश्वर नगर, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर के ख0सं0 428 रकबा 8.4013 हैक्टर के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी हेतु दिनांक 20.5.2022 को पेश करते हुए निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात दिनांक 5.7.2022 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपरोक्त खसरान भूमि की पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 25 एवं 27 ता 31 के नोटिस तामील होने के बावजूद न तो वे उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त पारित अपीलाधीन आदेश धारा 111, 128 के प्रावधानों के विपरित, अभिलेख व न्याय एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की ओर से दिनांक 23.6.22 को अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। तत्पश्चात पत्रावली जवाब/दस्तावेज पेश करने हेतु रखी गई। उसके बाद दिनांक 5.7.2022 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होना बताकर एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने की कोई सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी गई। तथा बिना कोई जॉच करवाये, सम्बन्धित तहसीलदार से मौके से पैमाइश रिपोर्ट तलब किये बिना व स्वयं द्वारा खेतों की मध्य सीमा का तय किये ही सीधा तहसीलदार गुडामालानी को रेस्पोडेन्टस के खेत की पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अभी गांव में दिनांक 5.4.2023 को पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण को अपने खेत से फसल हटाने का कहा एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय से नेखमबन्दी करने का आदेश पारित हो रखा है। तब अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी होने पर दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जावें।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये कि उनकी सीमाओं के बीच माठ नहीं है, और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी मौका जॉच करवाये बिना व पैमाइश रिपोर्ट मंगवाये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश आदेश गलत रूप से पारित किया है जबकि अधिवक्ता की गलत की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है। तथा अधिवक्ता की गैर हाजरी की सूचना भी अपीलार्थीगण को नहीं दी गई। ऐसे में

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को अपनाये बिना एवं विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलान्टस की प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2022 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.4.2022 को सीमांकन मौका रिपोर्ट सेढा पडौसियान की उपस्थिति में किया जाना प्रतिवेदित किया है। सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर खातेदारान तथा सेढा पडौसियान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमा चिन्ह बताये गये है व मौके पर विवाद होने का जिक पत्रावली में है। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 5.7.2022 को पत्थरगढी का आदेश जारी किया गया। पत्रावली में आदेशिका दिनांक 23.6.2022 अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 ता 5, 7, 8, 10 ता 24 की ओर से वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो कि सम्मन तामिली की तस्दीक करता है। उक्तानुसार विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक २7 जुलाई 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर